चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा आज दिनाँक 04.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2022 धारा 302 भा0द0वि0 के अभियुक्त बसन्तलाल रैकवार पुत्र भीखम रैकवार निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.09.2022 को वादी धर्मेन्द्र कुमार रैकवार पुत्र रामखेलावन रैकवार निवासी ग्राम कंठीपुर मजरा अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट हाल पता कसहाई रोड गल्ला मंडी ज्ञान भारती इण्टर कॉलेज के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया था कि अभियुक्त बसन्तलाल द्वारा दिनांक 02.09.2022 को धूमने के बहाने ले जाकर हत्या कर देना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 101/2022 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम बसन्तलाल रैकवार उपरोक्त पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री वीर प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनांक 09.09.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 26.11.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(3). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 04.12.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1064/2015 धारा 323,352,504 भा0द0वि0 व 3(1) ध, व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्तगण 1.बजरंगी पुत्र सत्यनारायण 2.मन्झा पुत्र चन्द्रभान 3.अभिलाष पुत्र सत्यनारायण निवासीगण ग्राम नई दुनिया बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.11.2015 को वादी वादी पिन्टू पुत्र गल्हू निवासी नई दुनिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 27.11.2015 को अभियुक्तगण द्वारा घर में हमला कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 1064/2015 धारा 323,352,504 भा0द0वि0 व 3(1)ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 04.02.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस टीम ने चोरी के आरोपी अभियुक्त को चोरी के 29 किलो 600 ग्राम चावल, 20 किलो चना सहित एक जोड़ी पायल व 1250/- रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रामकुमार पुत्र श्रीपाल रैदास निवासी ग्राम ठर्री थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट उम्र करीब 39 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-

धान मोड़ से धान गाँव की तरफ जाने वाली सडक पर करीब 20 मीटर की दूरी पर दिनांक 04.12.2025 समय 04.00 बजे सुबह

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय दिनाँक 03.12.2025 को वादिया श्रीमती अंजू देवी पत्नी दीपक कुमार पाण्डेय थाना बरहट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 27.11.2025 को मेरे घर का ताला तोड़कर रामकुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ठर्री थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने लगभग 60 किलो ग्राम चना,50 किलो ग्राम सरसो,80 किलो ग्राम चावल और 01 नग छागल व 04 नग चांदी क चुल्ले 01 नगर चैनपट्टी व चांदी के लछछे चुरा ले गया। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 296/2025 धारा 331(4),305 बी0एन0एस बनाम बाइस्तवा रामकुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ठर्री थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

आज दिनाँक 04.12.2025 को उ0नि0 सुनील कुमार थाना रैपुरा व उनकी टीम वास्ते देखभाल क्षेत्र ,रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित में मामूर होकर बरहट पेट्रोल पम्प के समाने मौजूद थे कि एक व्यक्ति सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी लिये आता दिखाई दिया । हम पुलिस वालों को देखकर धान मोड़ से पीछे मुड़कर धान गाँव की तरफ पक्की सड़क पर तेज कदमों से जाने लगा,शक होने पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए धान मोड़ से धान गाँव की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 20 मीटर की दूरी पर व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रामकुमार पुत्र श्रीपाल रैदास निवासी ग्राम ठर्री थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट उम्र करीब 39 वर्ष बताया । भागने का कारण पूंछा गया तो बताया कि दिनांक 03.12.2025 को अंजू देवी पत्नी दीपक निवासी बरहट थाना रैपुरा के घर से चना,चावल,सरसो,चाँदी के जेवरात चोरी किये थे । सरसो,चाँदी का कुछ सामान चलते फिरते लोगों को बेंच दिया। आज चना बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया । कड़ाई से पूंछने पर बताया रहा है कि कुछ चावल आगे झाड़ी में छुपाकर रख दिये है चलकर बरामद कराया । अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पैन्ट की जेब से एक जोड़ी पायल सफेद धातू तथा 1250/- रूपये बरामद हुआ। सामाग्री बरामद करते हुए अभियुक्त को समय 04.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री करन सिंह थाना रैपुरा

2.उ0नि0 श्री अखिलेश यादव

3.आरक्षी बब्बू राजा

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 04.12.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1260/2009 धारा 380,411,454,120बी भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मिल्ला उर्फ राममिलन पुत्र मंगल लोधी निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।